न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–249/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/249)

1. हरि सिंह पुत्र श्योजी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. हंगामा पुत्र रामा
2. कमलादेवी पुत्री रामा
3. सुवाबाई पुत्री रामा
4. जगदीश पुत्र रामा
5. सोराज पुत्र रामा
6. गोरधन पुत्र रामा
7. मथरा देवी पुत्री रामा
8. छोगा पुत्र गंगाराम
   जाति गुर्जर निवासी आखरी तहसील व जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर।
10. उप पंजीयक किशनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ अजमेर दिनांक 08.07.2024 राजस्व वाद संख्या 23/2006

उपस्थितः–

1. श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुमित जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3, 5 से 8 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–03.11.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 23/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी किशगनढ, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को

जरिए नोटिस तलब किया गया। वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 से 8 और वादी के मध्य राजीनामा हो चुका है। जिसके कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की हद तक वाद विड्रो कर लिया इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 9 के वारिसान व 10 द्वारा वाद के विचाराधीन रहते आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका वादी ने जवाब पेश किया प्रार्थना पत्र के कथनों से इंकार कर दिया इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 08.07.2024 को वादी को वसीयत के आधार पर वाद लाने का अधिकारी नहीं होना मानकर वाद कारण उत्पन्न नहीं होना अंकित कर वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 23/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3, 5 से 8 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि प्रार्थीगण ग्रामिण परिवेश का काश्तकार पेशा व्यक्ति है। जो कानूनी बारिकियों से अनभिज्ञ होने तथा कृषि काश्त कार्य में व्यस्त रहने के कारण अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में लगा समय सद्भाविक होने से क्षमा किये जाने योग्य है। काश्त कार्य में व्यस्त रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.7.2024 की जानकरी होने पर उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतू दिनांक 22.7.2024 को आवेदन किया जिस पर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 23.7.2024 को प्राप्त हुई और इसके पश्चात प्रार्थी फीस और पैसे का इन्तजाम करने में लग गया लेकिन फीस और खर्चे का इन्तजाम समय पर नहीं हो पाया जिस कारण अपील को अन्दर मयाद प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके पश्चात दिनांक 20.10.2024 को अभिभाषक से मिले और बिना किसी देरी के उक्त अपील तैयार करवाई और आज दिनांक 21.10.2024 को न्यायालय के समक्ष उक्त अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकार अपील पेश करने में प्रार्थी ने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। जो देरी हुई है वह सद्भाविक देरी है। जिस कारण उक्त अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के विपरीत जाकर राजस्व वाद को खारिज किया जाना पूर्णतया विधि विरूद्ध है और ऐसा आदेश प्रारम्भ से ही नल एंड वोईड है। जिसे चुनौती देने की कोई मयाद नहीं है। इस प्रकार प्रकरण गुणावगुण पर प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है। जिससे मियाद को क्षमा किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि मियाद अधिनियम 1963 में उपबन्धित किसी भी कार्यवाही के बाबत् उपबन्धित समयावधि को सरसरे आधार पर बिना कारण के अन्नतकाल के लिये विस्तार नहीं किया जाना चहियें। यह विधि से सुस्थापित है कि limitation act is not only formality it should applied with all rigiours अर्थात म्याद को केवल मात्र तकनीकी

आधार पर शम्न नहीं किया जाना चाहियें बल्कि उसके प्रावधानों की कठोरता से पूर्ण पालना की जानें चाहिये जबकि हस्तगत प्रार्थना पत्र में उपरोक्त अपीलकर्ता प्रार्थी द्वारा जो कथन प्रार्थना पत्र में उपरोक्त कालातीत कार्यवाही के अवधि विस्तार के लिये उल्लेखित किये है। वह अपनें आप में सद्भाविक कारण (good cause) नहीं है। इस परिपेक्ष में हस्तगत अपील प्रथम दृष्टया ही अवधि से बाधित होकर उक्त अपील के बाबत् जो कारण उल्लेखित किये है। उनके आधार पर विलम्ब को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र उपरोक्त अपीलार्थी ने यह कारण उल्लेखित किया है कि उनके पास अपील संस्थन हेतु वित्तिय सक्षमता नहीं थी। यह तर्क न तो विधिक रूप में स्वीकार किये जानें योग्य है एवं ना ही इस बाबत् उपरोक्त अपीलार्थी के मौखिक अभिवचन को किसी भी रूप में बल दिया जा सकता है। सरकार द्वारा इस अनुकम में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो इस कारण विधिक सहायता केन्द्र स्थापित कर रखें है तथा अजमेर में भी विधिक सहायता केन्द्र स्थापित है। जो किसी पक्षकार द्वारा आर्थिक सक्षमता नहीं होने की स्थिति में उसे निःशुल्क विधिक सहायता के साथ साथ पैरवी के लिये अधिवक्ता भी उपलब्ध करवाता है। जिसका व्यय भी राज्य सरकार द्वारा विधिक सहायता मंच के माध्यम से वहन किया जाता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में तो उपरोक्त अपीलार्थी यह कथन करता है कि उसके पास राशि नहीं थी। इस कारण वह अपील प्रस्तुत नहीं कर पाया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त अपीलार्थी न केवल विधिक सहायता केन्द्र की असक्षमता को प्रकट करना चाहता है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उसने इस अपील संस्थन के बाबत् स्वयं की वित्तिय असक्षमता के रहतें हुये। विधिक सहायता केन्द्र अजमेर के समक्ष अथवा एवं अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन किया हों। जिसे सक्षम प्राधिकारी ने अस्वीकार किया हों। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपीलार्थी के द्वारा केवल मात्र अपने काल्पनिक कारणों से म्याद से गम्भीर रूप से विलम्बित अपील को इस प्रार्थना पत्र के जरिये अवधि विस्तार नहीं किया जा सकता है। बल्कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के अवधारण पूर्व इस तथ्य का संज्ञान लिया जाना और अधिक महत्वपूर्ण व तार्किक हो जाता है कि पहले यह जांच की जावे एवं प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि वह विधिक सहायता केन्द्र अजमेर के समक्ष विधिक कार्यवाही के बाबत् सहायता लेने गया था। जिसे उक्त सहायता केन्द्र ने इन्कार किया अन्यथा स्थिति में इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलम्ब अवधि जो मात्र काल्पनिक है को स्वीकार करना अपने आप में विधिक सहायता केन्द्र अजमेर सहित विधायिका के उपबन्ध को भी इन्कार करना है। म्याद अधिनियम 1963 एक औपचारिकता है। जिसे अपीलार्थी चाहे जिस प्रकार न्यायालय के समक्ष कथन करे एवं न्यायालय उसे सरसरे आधार पर सद्भाविक मानते हुये अनुज्ञात करें। इस प्रार्थना के अभिवचन भी किसी श्रेणी के है। जो किसी भी रूप में उपरोक्त पैरा संख्या 02 के अनुक्रम में माने जाने योग्य नहीं है। इस परिपेक्ष में भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर जो अधिकार प्रत्यर्थी को उपरोक्त सारभूत म्याद अधिनियम के अधीन प्राप्त हो चुके है से वंचित किया जाना है एवं इस परिपेक्ष में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्तनीय है। तथ्य उपरोक्त अपीलार्थी को संज्ञान है कि प्रत्यर्थी द्वारा इस पैरा में वर्णित वाद अधीन सम्पति का विक्रय किया जा चुका है एवं खसरा संख्या 473 रकबा 0.7851 हैक्टेयर पर खरीदारान का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद अपील संस्थन के पूर्व ही हो चुका है। इस सारभूत तथ्य का उपरोक्त अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जानबूझकर लोपकर यह अपील असद्भाविक रूप से संस्थित की है। जब अपील ही असद्भाविक है तों

हस्तगत प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप में सद्‌भाविक नहीं है। When appellant is not bonafide in main appeal then this application can not be taken as granted on whimsical reasons इस परिपेक्ष में भी जब अपील ही असद्‌भाविक रूप से अपील संस्थन के तथ्यों का लोप कर प्रस्तुत की गयी है। तो यह प्रार्थना पत्र भी स्वतः असद्‌भाविक हो जाता है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने कई न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यथासंभव प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के किसी भी पैरा में स्पष्ट अंकन नहीं किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 के कौन से प्रावधान के अन्तर्गन्त खारिज किये जाने योग्य है। जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 के चारों उपनियम से सम्बधित कोई भी पैरा अंकित नहीं किया और ना स्पष्ट किया कि वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 के किस उपनियम के तहत निरस्त किये जाने योग्य है फिर भी उपखण्ड अधिकारी ने वादी के विरूद्ध निर्णय पारित कर भयंकर भूल की हैं। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट ने वसीयत को कुटरचित होना एवं साधारण कागज पर लिखा होना एवं वाद के 2006 से लम्बित होने का आधार बताकर वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। जो कि आदेश 7 नियम 11 के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आता है। वाद वादी का है और वादी स्वयं के वाद को जानबूझ कर लम्बित नहीं करता है। बल्कि प्रतिवादी जानबूझकर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित नहीं होने देना चाहते है। क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में परीक्षण न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 28.7.2009 को खारिज किया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट/प्रतिवादी ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 7222/2009 बउनवानी रामा बनाम हरि सिंह प्रस्तुत की जिसे माननीय मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 8.4.2021 को खारिज कर दिया। इसके उपरान्त प्रकरण को लम्बित करने का आक्षेप वादी/अपीलांट पर लगाना पूर्णतया गलत है। इस प्रकार प्रतिवादी/रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है

कि विवादित भूमि के बारे में वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ जबकि आदेश 7 नियम 11 के उपनियम के (क) के अनुसार मात्र वाद कारण अंकन करना होता है जो वादी द्वारा वाद के पैरा संख्या 7 से स्पष्ट किया हुआ है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी का स्वामित्व स्वीकार करने से माना करने पर ही वाद कारण दिनांक 10.01.2006 को उत्पन्न हुआ इस प्रकार केवल आदेश 7 नियम 11 मे वाद कारण अंकित किया जाना आवश्यक है ऐसे में वाद कारण वाद पत्र में अंकित होने पर भी वाद कारण को गलत मानकार उपखण्ड अधिकारी ने आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के बाहर जाकर वाद निरस्त कर दिया है। आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र में वाद कारण अंकित किया जाना आवश्यक है। वादकारण सही है या गलत है। इस पर तनकी कायम होकर दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये जाने के बाद निर्णय किया जाना ही विधिनुसार सही है। वाद कारण को गलत होना मान कर वाद कारण उत्पन्न नहीं होना अंकित कर आदेश 7 नियम 11 के तहत दावा खारिज कर दिया। विवादित आराजियात सम्वत 2010 से 2019 तक दादू सिंह जी की खातेदारी में दर्ज रही है और इसके पश्चात राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक अधिकार के एवं बिना किसी हस्तानान्तरण के प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी ऐसे में वाद की मूल विषय वस्तु बिना किसी अधिकार के दादू सिंह जी की खातेदारी भूमि का इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम करना है। ऐसे में बिना किसी विधिक अधिकार के दर्ज भूमि का प्रतिवादीगण को स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। स्वामित्व दादू सिंह जी के पास ही था इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में बिना अधिकार परिवर्तन कर दिये जाने पर भी भूमि का स्वामित्व दादू सिंह जी का ही रहेगा चाहे राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन कर दिया गया हो। क्योंकि पूर्व में रिकार्डेड खातेदार का स्वामित्व बिना विधिक दस्तावेज के हस्तानान्तरित नहीं होता है। ऐसे में दादू सिंह जी को स्वयं की स्वामित्व की भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार वसीयत के समय केवल दादू सिंह जी राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नहीं होने से वसीयत के आधार पर प्रस्तुत वाद को निरस्त नहीं किया जा सकता है। जबकि गलत रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट विवादित भूमि को स्वयं की बता रहे है और उक्त भूमि से वादीगण/अपीलांट को जबरन बेदखल करना चाहते है। इस प्रकार गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर दादू सिंह जी की भूमि के सम्बन्ध में वादी के अधिकार समाप्त नहीं होते है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्तनीय है। श्योजी सिंह के पक्ष में वसीयत दिनांक 19.6.1978 को की गई थी और दिनांक 19.6.1978 को हिन्दू पंचाग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुल्क पक्ष की त्रियोदशी बार सोमवार और सम्वत 2035 आता है। लेकिन केवल सहवन से सम्वत 2035 की जगह 2033 अंकित हो जाने से वसीयत को गलत नहीं माना जा सकता है। वसीयत अंग्रेजी कलेण्डर के अनुसार दिनांक 19.6.1978 लिखी गई है। उक्त दिनांक को वार सोमवार, तिथी 13 शुल्क पक्ष माह ज्येष्ठ होना हिन्दू पंचाग की ऑन ऑईन इन्टरनेट से प्राप्त प्रति प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में परीक्षण न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 28.7.2009 को खारिज किया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट/प्रतिवादी ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 7222/2009 बउनवानी रामा बनाम हरि सिंह प्रस्तुत की जिसे माननीय मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 8.4.2021 को खारिज कर दिया इस प्रकार पुनः उसी वाद में आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जबकि राजस्व मण्डल ने प्रकरण को गुणावगुण पर तय किये जाने का निर्देश दिया है। इस प्रकार उसी न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के दुसरे प्रार्थना पत्र पर निर्णय करते समय वादी को वाद लाने योग्य नहीं मानकार विरोधाभासी निर्णय पारित किया है तथा

न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की अवमानना कारित कर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के विपरीत जाकर वाद खारिज किया है। विवादित आराजियात साबिक रिकार्ड में दादू सिंह जी की खातेदारी की रही है। जो कि राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया सिद्ध है। फिर भी उपखण्ड अधिकारी ने सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार कर आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर केवल गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदार मानकर उपखण्ड अधिकारी ने विधि विरूद्ध आदेश पारित कर वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि विरुद्ध होकर काबिल निरस्तनीय है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पास कैसे आई स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकार केवल राजस्व रिकार्ड में नाम होने मात्र से उसको भूमि का मालिक व विधिक हक अधिकारी नहीं माना जाता सकता है। खातेदार को स्वयं के नाम दर्ज खातेदारी का विधिक स्त्रोत भी बताना पडेगा प्रतिवादीगण अपने जवाब दावे में स्वयं की खातेदारी का स्त्रोत बताने में पूर्णतया असमर्थ रहे है इस प्रकार प्रतिवादीगण के पूर्वज के पास न तो भूमि पूर्व में थी और ना ही सम्वत 2019 से पहले कभी खातेदारी में रही है। केवल गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदार माना जा रहा है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट को खातेदार मानकर वादी का वाद निरस्त कर दिया है। रेस्पोडेंट वादग्रस्त भूमि पर कभी काबिज काश्त नही रहे एवं ना ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर प्रस्तुत की गई थी। बल्कि अपीलांट्स का लगातार काबिज काश्त होना स्वयं सिद्ध है। इस प्रकार मात्र तकनीकी आधार पर वाद निरस्त नही करना चाहिए वाद का निस्तारण पूर्णतया गुणावगुण पर किया जाना चाहिए इस बिन्दू को नजर अंदाज करते हुए आदेश पारित कर दिया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 23/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2021(4)डीएनजे एस0सी 1167, 2020(4)डीएनजे एस0सी 1236, आरआरडी 1986 पेज 135, आरआरडी 1989 पेज 169, आरआरडी 1995 पेज 304, आरबीजे(21) 2014 पेज 386, आरबीजे(12) 2005, आरबीजे(7)2000 पेज 398, आरबीजे(14) 2007 पेज 256 प्रस्तुत किए हैं।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उनवान प्रकरण माननीय न्यायालय में वर्ष 2006 अर्थात् 17 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित है। प्रस्तुत प्रकरण में गिरवर सिंह बनाम नोरत का वाद भी समेकित किया गया था तथा गिरवर सिंह बनाम नोरत के प्रकरण में प्रस्तुत वाद का वादी हरिसिंह प्रतिवादी संख्या 11 है एवं उपरोक्त गिरवर सिंह के वाद में वाद पैरा संख्या 3 में दादू सिंह की वसीयत दिनांक 19.06.1978 वार सोमवार मिति ज्येष्ठ सुदी तेरस संवत 2033 को आधारित कर वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे हरि सिंह ने लिखित उत्तर के पैरा संख्या 3 में सही होने की स्वीकारोक्ति की है। अर्थात् यह वाद मूलतः तथाकथित वसीयत पर आधारित हो चुका है। यह पहलू विधि से सुस्थापित है कि, यदि न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार के कूटरचित, कपटपूर्ण मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष चाहा जाता है तो nib of the womb ही shot down किया जाना चाहिये तथा हस्तगत प्रकरण में भी उपरोक्त वसीयत साधारण कोरे कागज पर होकर न तो नोटरी से अनुप्रमाणित है एवं न ही पंजीयत है। इसके साथ उपरोक्त वसीयत की लेखनी, दिनांकों से ही यह पूर्णतः संदेह से भरी हुयी है। यह पहलू विधि से सुस्थापित है कि,

Complicated question of validity of will or adoption cannot be adjudicated by the revenue courts तथा उपरोक्त वसीयत कपटपूर्ण है एवं कपट जैसे संगीन बिन्दूओं का राजस्व न्यायालय को सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकारिता न्यस्त नहीं रहता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो वाद संधारण योग्य नहीं होने बाबत् पहलू उठाये गये है, वह पूर्व में न तो माननीय न्यायालय के समक्ष उठाये गये थे एवं न ही किसी भी न्यायालय ने यह आदेश किया है कि, जब वसीयत ही प्रथम दृष्टया लेखनी दिनांको से त्रुटियुक्त है तो भी इस निस्सार वाद को सतत् रखा जावे। वादी इस वाद को दीर्घावधि काल के लिये लंबित रखते हुये प्रतिवादी को हैरान–परेशान करना चाहता है एवं यह पहलू स्पष्टतः कई न्याय निर्णयों में अभिनिर्धारित हो चुका है। किसी भी पक्षकार को harass व humiliate किये जाने के लिये प्रकरण को अनन्त दीर्घावधि काल के लिये लंबित नहीं रखा जाना चाहिये। उपरोक्त वादी को यह भी संज्ञान है कि वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से भी ग्रसित है एवं वादी ने जानबूझकर आवश्यक पक्षकारों को प्रकरण में संयोजित नहीं किया है। इस परिपेक्ष में भी वादी का वाद वांच्छित घोषणा अनुतोष के बाबत् अवधारर्णीय नहीं है तथा वादी का वाद अधीन सम्पत्ति पर कोई कब्जा नही है। ऐसी स्थिति में suit for declaration without seeking possession भी संधारण योग्य नहीं है। इस परिपेक्ष में भी वादी का वाद विधि से वर्जित योग्य है। विधिक प्रावधानों के अवधारण पर न तो प्रांग न्याय प्रभावी होता है एवं न ही विबंधन के सिद्धान्त प्रभावी होते है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.02.2008 को विवाद्यक प्रस्तुत हो चुके थे। जिन्हें न्यायालय ने अपने रिकार्ड पर भी लेकर उनकी प्रमाणित प्रति जारी की गयी है। जिसमें भी उक्त वसीयत तथा विक्रय विलेख की legality को न्यायालय ने विचारण का बिन्दू माना है तथा legality of instrument cannot be adjudicated by revenue court इसके लिये विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता में ही वाद संधारण योग्य रहता है। स्वयं वादी हरि सिंह के वाद पैरा संख्या 6 में विक्रय विलेख के निरस्तीकरण बाबत् अभिवाक कर रहा है। प्रस्तुत प्रकरण 17 वर्षों से लंबित चला आ रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष वाद आधारित वसीयत को किसी भी सिविल क्षेत्राधिकारिता की न्यायालय द्वारा सही व वैध नहीं ठहराया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया की उपरोक्त तथ्यों सहित प्रस्तुत वाद प्रार्थना पत्र के अंकित कथनों के अनुक्रम में विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांट द्वारा राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान प्रकरण से संबंधित दो वाद हरिसिंह व गिरवरसिंह द्वारा लगाए गए तथा दोनों सगे भाई है व एक वाद में मौखिक वसीयत का हवाला दिया गया तथा दूसरे वाद में वसीयत दिनांक 19.06.1978 का हवाला दिया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश 7 नियम 11 दिनांक 28.07.2009 को खारिज किया गया जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में की गई तथा मण्डल

द्वारा दिनांक 08.04.2021 को निगरानी खारिज की गई। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रकरण में पुनः आदेश 7 नियम 11 लगाई गई व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.07.2024 को स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से अंसतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2020 से 2023 में खातेदार गंगाराम वल्द करणा कौम गुर्जर व धन्ना वल्द माधा कौम रेगर खातेदार दर्ज है तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2067–2070 में अनिल कुमार जैन, इमरान खान व संदीप मेहता खसरा नम्बर 473 में 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार/काश्तकार दर्ज हैं, चूंकि उक्त आराजीयात को रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक 27.02.2007 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अनिल कुमार जैन, इमरान खान व संदीप मेहता को बैचान किया गया है।

वादी/अपीलांट द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया कि दादूसिंह द्वारा श्योजी के पक्ष में दिनांक 19.06.1978 को वसीयत की गई थी, उक्त वसीयत के आधार पर वादी/अपीलांट खसरा नम्बर 473 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा के पुराने खसरा नम्बर 258/1 थे एवं उससे पूर्व खसरा नम्बर 4390 थे उस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी उदघोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था, परंतु उक्त वसीयत पंजीकृत दस्तावेज नहीं है तथा तत्समय दादूसिंह उपरोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार ही नहीं थे तो उन्हें वसीयत किए जाने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं था।

उक्त वसीयत प्रथम दृष्टया ही अविधिक है। पत्रावली में वादीगण/अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो तथाकथित वसीयत की गई है तत्समय दादूसिंह खातेदार हो। खसरा नम्बर 473 जिसके पुराने खसरा नम्बर 258/1 थे की भूमि एकीकरण जमाबंदी में गंगाराम पुत्र करणा गुर्जर खातेदार दर्ज है। दादूसिंह वर्ष 1978 में उपरोक्त भूमि के खातेदार ही नहीं थे खातेदार प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी थे। ऐसी स्थिति में उन्हें वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं था। वसीयत में दिनांक 19.06.1978 एवं संवत ज्येष्ठ सुदी तेरस संवत 2033 दोनों में मिलान नहीं होता है क्यों कि दिनांक 19.06.1978 को तो हिन्दी मिति ज्येष्ठ सुदी तेरस संवत 2035 थी। प्रथम दृष्टया यदि वसीयत को देखा जाता है तो दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त वसीयत ना तो पंजीबद्ध है एवं ना ही वाद अधीन भूमि का विवरण उक्त वसीयत में किया गया है। इन समस्त तथ्यों के स्पष्ट है कि वसीयत दिनांक को विवादित आराजीयात वसीयतकर्ता के खातेदारी में दर्ज नहीं थी।

इसके अतिरिक्त वादी/अपीलांट द्वारा जिस वसीयत के आधार पर वादग्रस्त अराजीयात बाबत अनुतोष चाहा गया है वह उक्त तथाकथित वसीयत को सही अथवा गलत साबित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयो को नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त अपीलांट हरिसिंह एवं गिरवरसिंह दोनों ही आपस में सगे भाई हैं, तथा हरिसिंह द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद में वाद पत्र में मौखिक वसीयत के आधार पर वादग्रस्त अराजीयात बाबत उद्घोषणा का अनुतोष चाहा गया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हरिसिंह के पक्ष में स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया जिसके पश्चात गिरवरसिंह द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद के तथ्यों को छिपाते हुए पश्चातवर्ती वाद में लिखित वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया गया तथा कोई भी व्यक्ति इस बात की अवधारणा कर सकता है कि यदि कोई वसीयत पूर्व में लिखी गई होती तो उसका संज्ञान परिवार के सदस्यों

को अवश्य होता। इन समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलांटस द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से वाद प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त यह विधिक स्थिति भी स्पष्ट है खातेदारी की उद्घोषणा चाहने वाला व्यक्ति वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा होना आवश्यक है। बिना कब्जे के खातेदारी की उद्घोषणा प्राप्त नहीं की जा सकती है तथा वादी अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ऐसा कोई देस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात पर उसका कब्जा हो। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के उद्घोषणा का वाद विधि द्वारा वर्जित है।

यह कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 में निम्न प्रावधान है:—

The plaint shall be rejected in the following cases-
(a) where it does not disclose a cause of action;
(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law:
(e) where it is not filed any duplicate.
(f) where the plaintiff fails to comply with the provision of Rule 9
Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature form correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

उपरोक्त विधिक प्रावधान के बिन्दु संख्या (डी.) के अनुसार वाद पत्र में किये गये कथन से यदि प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है तो वाद खारिज योग्य होता है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा भी इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप वाद को खारिज किया गया है।

वादी/अपीलांट द्वारा दौराने बहस मौखिक निवेदन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा पूर्व में भी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे खारिज किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या 7222/2009 बउनवानी रामा बनाम हरिसिंह प्रस्तुत की गई थी जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.04.2021 को खारिज कर दिया गया था। किन्तु माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कोई भी प्रारम्भिक आपत्ति या आक्षेप प्रकरण में प्रस्तुत होने पर न्यायलय का दायित्व है कि सर्वप्रथम उक्त आपत्ति/आक्षेप का निस्तारण किया जाना चाहिए। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर वाद को विधि द्वारा वर्जित मानते निस्तारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरूप ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई विधिक दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनके आधार पर अपीलांट न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकें। अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को

साबित कर पाने में विफल रहे हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 94/2006 गिरवरसिंह बनाम नौरत व प्रकरण संख्या 23/2006 बउनवान हरिसिंह बनाम नौरत को एक साथ समेकित किया जाकर प्रकरण में निर्णय दिनांक 08.07.2024 पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर